



आरएमजीबी
RMGB

e-Circular

Planning & Development

Sl.No. : 14 / 2017-18

Circular No : 123/2017-18

Friday, October 27, 2017

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की
सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के लिये

मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में परिवर्तन

विषयान्तर्गत, परिपत्र संख्या/91/योजना-09/2017-18 दिनांक 23.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से सावधि जमाओं पर ब्याज दरों का विवरण प्रेषित किया गया था।

उपयुक्त संदर्भ में बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा बदलते परिपेक्ष्य में दिनांक 30.10.2017 से बैंक की मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः दिनांक 30.10.2017 से बैंक की मियादी जमाओं पर ब्याज दरें निम्नानुसार रहेंगी।

खुदरा एवं थोक मियादी जमाओं रू. 1 करोड़ से कम तक के लिये दिनांक 30.10.2017 से प्रभावी ब्याज दरें :-				
Tenor	Rate for Public w.e.f. 30.10.2017	Rate for Senior Citizen (*) w.e.f. 30.10.2017	Rate for Staff w.e.f. 30.10.2017	Rate for senior citizen (*) Staff w.e.f. 30.10.2017
7 days to 45 days	5.65	5.65	6.65	6.65
46 days to 179 days	6.75	6.75	7.75	7.75
180 days to less than 1 year	6.85	6.85	7.85	7.85
1 year	7.00	7.50	8.00	8.50
More than 1 year to less than 2 years	6.80	7.30	7.80	8.30
2 years to less than 3 years	6.60	7.10	7.60	8.10
3 years to less than 5 years	6.50	7.00	7.50	8.00
5 years and upto 10 years	6.50	7.00	7.50	8.00

थोक मियादी जमाएँ रू. 1 करोड़ एवं अधिक के लिये दिनांक 30.10.17 से प्रभावी ब्याज दरें :-				
Tenor	Rate for Public w.e.f. 30.10.2017	Rate for Senior Citizen (*) w.e.f. 30.10.2017	Rate for Staff w.e.f. 30.10.2017	Rate for senior citizen (*) Staff w.e.f. 30.10.2017
7 days to 45 days	5.00	5.00	6.00	6.00
46 days to 179 days	5.60	5.60	6.60	6.60
180 days to less than 1 year	5.80	5.80	6.80	6.80
1 year	6.25	6.75	7.25	7.75
More than 1 year to less than 2 years	6.10	6.60	7.10	7.60
2 years to less than 3 years	6.00	6.50	7.00	7.50
3 years to less than 5 years	5.50	6.00	6.50	7.00
5 years and upto 10 years	5.50	6.00	6.50	7.00


(*) Senior citizen benefit will be payable only for deposit of Rs. 10,000 and above for tenor of 1 year and above

रूपये 15 लाख एवं उससे अधिक की सभी परिपक्वता अवधियों हेतु प्राप्त मियादी जमाओं पर प्रत्येक प्रकरण के आधार पर प्रचलित ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिकतम अतिरिक्त ब्याज दर (कार्ड रेट से अधिक) प्रदान करने के विवेकाधिकार उच्च प्रबंधन में निहित है। जिन जमाओं पर विशेष ब्याज दर (कार्ड रेट से अधिक) की मांग की जाती है उन जमाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को विस्तारित दर लागू नहीं होंगी।

मियादी जमाओं के सम्बन्ध में अन्य निर्देश हमारे पूर्व परिपत्रानुसार रहेंगे।

नई ब्याज दर की सूचना ग्राहकों के सूचनार्थ शाखा/कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावे।

सभी शाखा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु ग्राहकों एवं उनके अधीन कार्यरत स्टाफ के ध्यान में लाकर तदनुसार परिपत्र के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।


22/11-12

(ए.पी.चौधरी)
महाप्रबंधक

